राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56425] **बृहस्पतिवार**, 2 **मार्च**, 2017

सं. 56425 *विधायी अनुभाग*

राज्य सभा के सदस्यों श्री दिग्विजय सिंह और श्री विवेक के. तन्खा की गिरफ्तारी और रिहाई

पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल, मध्य प्रदेश से राज्य सभा के सभापति को संबोधित दिनांक 23 फरवरी, 2017 के निम्नलिखित दो संदेश प्राप्त हुए हैं:-

1. "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य, राज्य सभा को कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के दौरान शांति भंग होने की आशंका में गिरफ्तार किया जाए।

   तदनुसार, श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य, राज्य सभा को 22.02.2017 को अपराह्न 3.30 बजे गिरफ्तार किया गया। इस बात का समाधान हो जाने पर कि अब शांति भंग होने की आशंका नहीं है, मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपराह्न 6.00 बजे रिहा कर दिया।"

2. "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि श्री विवेक के. तन्खा, सदस्य, राज्य सभा को कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के दौरान शांति भंग होने की आशंका में गिरफ्तार किया जाए।

तदनुसार, श्री विवेक के. तन्खा, सदस्य, राज्य सभा को 22.02.2017 को अपराह्न 3.30 बजे गिरफ्तार किया गया। इस बात का समाधान हो जाने पर कि अब शांति भंग होने की आशंका नहीं है, मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपराह्न 6.00 बजे रिहा कर दिया।"

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।